**महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता**

**संख्या ——— /18–XIX–2/57 खाद्य/2017**

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौडी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।
3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल संभाग,
हल्द्वानी/देहरादून।
4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।
5. अपर निबन्धक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
देहरादून।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक,
भा0रा0कृषि सहकारी विपणन संघ,(नेफेड)।

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2** **देहरादूनः दिनांक०५ अप्रैल, 2018**

**विषयः** **रबी विपणन सत्र 2018–19 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ की खरीद।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–7–1/2018–S&I दिनांक 09.03.2018 एवं मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र दिनांक 08.03.2018 से प्राप्त प्रस्ताव पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक अप्रैल 2018 से गेहूँ खरीद प्रारम्भ की जा रही है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में रबी खरीद वर्ष 2018–2019 में गेहूँ का क्रय राज्य सरकार की जिन क्रय एजेंसियों द्वारा किया जाना है, का प्रस्ताव तथा अनुदेश निम्नानुसार हैः–

1. **गेहूँ का मूल्य**

भारत सरकार द्वारा रबी–विपणन सत्र 2018–19 के लिए अच्छे औसत किस्म के गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पत्र संख्या–4(1)/2017 पी0वाई0–1 दिनाँक 15.11.2017 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

| फसल | न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्टल रू0 |
|---|---|
| गेहूँ | 1735.00 |

2. **गेहूँ की गुण विनिर्दिष्टयाँ**

भारत सरकार के पत्र सं0–7–1/2018–S&I दिनांक 09.03.2018 द्वारा रबी–विपणन सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित की गयी गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर ही मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

3. **क्रय एजेन्सियाँ का चयन एवं खरीद का लक्ष्य**

(क) रबी–विपणन सत्र 2017–18 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ खरीद प्रकिया में भाग न लेने के दृष्टिगत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ के अतिरिक्त शासनादेश सं0 174/18–XIX–2/21 खाद्य/2018 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं रिटेलिंग सहकारी संघ मर्यादित (NACOF), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 एवं उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम को क्रय ऐजेन्सी नामित किया गया है। रबी–विपणन सत्र 2018–19 में क्रय एजेन्सियों को क्रय केन्द्रों की संख्या व गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारण खाद्यायुक्त के स्तर से किया जायेगा।

राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation के अन्तर्गत योजनाओं की पूर्ति हेतु राज्य की गेहूँ की कुल वार्षिक आवश्यकता 2,20,587 मी0टन (18382.230 मी0टन मासिक) है अतः मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत 2.21 लाख मी0टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रबी–विपणन सत्र 2018–19 में गेहूँ का क्रय विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत समस्त 2.21 लाख मी0टन गेहूँ का संग्रहण स्टेटपूल योजना हेतु किया जायेगा। निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर यदि गेहूँ की आवक बनी रहती है तो किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित लक्ष्य से अधिक भी गेहूँ क्रय किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य क्रय एजेंन्सी को भी गेहूँ खरीद हेतु नामित किया जा सकेगा।

(ख) रबी–विपणन सत्र 2018–19 में क्रय संस्थाओं द्वारा पंजीकृत कृषकों से ही गेहूँ का क्रय सुनिश्चित किया जोयगा। राज्य के प्रत्येक कृषक का क्रय एजेन्सी में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। जिन कृषकों का पंजीकरण न हो पाया हो ऐसे कृषकों का पंजीकरण उनके द्वारा क्रय केन्द्र पर अपने उत्पाद को विक्रय हेतु लाये जाने पर सर्वप्रथम क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा किया जायेगा, ताकि प्रत्येक कृषक का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। रबी–विपणन सत्र 2018–19 में बिना पंजीकरण कृषक का उत्पाद क्रय नहीं किया जायेगा अपितु कृषक का मौके पर राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम वार किसानवार सूची के आधार पर ही पंजीकरण कर लिया जायेगा तथा किसान से उसके बैंक सम्बन्धी जानकारी भी मौके पर ही प्राप्त की जायेगी।

(ग) रबी विपणन वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूँ क्रय की अवधि **अप्रैल, 2018 से दिनाँक 30 जून, 2018 तक** रहेगा।

4. **समय सारिणी**

रबी–विपणन सत्र 2018–19 में कृषकों से गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था विषयक समय सारिणी शासन के पत्र संख्या–149/18–XIX–2/57 खाद्य दिनाँक 12.02.2018 द्वारा पूर्व में ही जारी की जा चुकी है।

5. **जिला खरीद अधिकारी का नामांकन**

गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जो गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने एवं विभिन्न क्रय एजेंसियों एवं भण्डारण एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

6. **क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना**

जनपदों में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन योग्य अतिरेक (Marketable Surplus) की स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ के आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों के सहयोग से किया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुये ग्रामों के सम्बद्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रामों की किसानवार सूचियाँ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–150/18–XIX–2/57 खाद्य/2017 दिनाँक 12.02.2018 के विस्तृत निर्देश का भी अनुपालन किया जाय। राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में यदि किसी किसान का नाम छूट गया हो तो, किसान सर्वप्रथम अपना पंजीकरण क्रय केन्द्र पर करायेगा ताकि वह पंजीकृत हो सके व किसान सूची में उसका नाम सम्मिलित हो सके। क्रय केन्द्र खोलते समय ध्यान रखा जाये कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में क्रय केन्द्र संचालित न किये जायें। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न न हो कि किसानों को अपने क्षेत्र से बहुत दूर तक गेहूँ विक्रय हेतु ले जाना पड़े क्योंकि इससे "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उपलब्ध होंगे।

अतः क्रय केन्द्रों का स्थान निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि प्रत्येक ग्राम के 10 कि0मी0 की परिधि में कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2018–19 में जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने क्रय केन्द्रों की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के अनुरूप गेहूँ क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियाँ जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेंगी।

क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम शासन द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व प्रत्येक दशा में खुल जायें तथा खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुसार सुनिश्चित कर ली जायें। क्रय केन्द्र निर्धारित करते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि विगत वर्षों में जिन क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद नहीं हुई है एवं इस वर्ष भी उन केन्द्रों पर गेहूँ आने की सम्भावना न हो तो, उन क्रय केन्द्रों को अनावश्यक रूप से न खोला जाय।

यदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूँ की आवक नहीं होती है एवं गेहूँ का बाजार मूल्य स्थानीय मण्डियों में समर्थन मूल्य के आस–पास रहता है तो, गेहूँ खरीद के लक्ष्य की पूर्ति करने के निमित्त क्रय एजेन्सियाँ सब सेन्टर स्थापित कर सकती है एवं आवश्यकता समझे जाने पर गेहूँ खरीद कार्य हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से मोबाईल टीम भी गठित कर सकती है, ताकि गेहूँ के बड़े उत्पादकों से उनके खेत/खलिहान से ही गेहूँ की खरीद की जा सकें। क्रय एजेन्सियों द्वारा सब–सैन्टर खोलने अथवा मोबाईल टीमें गठित करने पर उनका अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा एवं उसकी सूचना शासन/खाद्यायुक्त/सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को आवश्यक रूप से दी जायेगी।

## 7. क्रय एजेंसियों को बोरा उपलब्ध कराना

(1) सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में दोनों सम्भागों में खरीफ–खरीद सत्र 2017–18 हेतु क्रय किये गये नये एस0बी0टी0 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(2) क्रय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गेहूँ की खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। गेहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर न्यूनतम एक गांठ बोरों की हर समय उपलब्ध रहेगी।

(3) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं को क्रय किये गये गेहूँ को केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान करने की स्थिति में बोरों की आपूर्ति, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित माँग पर प्रारम्भ में अप्रैल माह की आवश्यकता के अनुसार उधार आधार पर की जायेगी तथा अनुवर्ती माँग पर बोरे तभी दिये जायेंगे जब पूर्व में उधार आधार पर दिये गये बोरों के मूल्य का भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा विभाग को कर दिया जाय अथवा उसके मूल्य का समायोजन करा लिया जाये। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धतानुसार गोदामों से आवंटित बोरों के उठान एवं आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय समन्वयक अधिकारी का होगा।

यदि सहकारिता विभाग के पास खरीफ खरीद सत्र 2017–18 के नये बोरे अवशेष हो तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये बोरों की संख्या के आधार

पर अवशेष बोरों की आपूर्ति सहकारिता विभाग को उनकी माँग के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।

(4) रबी–विपणन सत्र 2018–19 में स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले 2.21 लाख मी0टन गेहूँ, जिसका सम्प्रदान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को किया जाना है, हेतु क्रय संस्थाओं को बोरों की आपूर्ति खाद्य विभाग द्वारा ही की जायेगी। चूँकि क्रय किया गया गेहूँ वापस राज्य सरकार को उन्हीं बोरों में प्राप्त होगा, अतएव ऐसी स्थिति में बोरों के मूल्य के समायोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। स्टेटपूल गोदामों में गेहूँ प्राप्ति के समय यदि बोरे अधोमानक के पाये जाते हैं तो, ऐसी स्थिति में क्रय संस्थाओं के देयकों से नियमानुसार कटौती करने के पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

## 8. <u>गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान</u>

(1) खाद्य विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों में क्रय किये जाने वाले गेहूँ के भुगतान के लिए यदि धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो, वांछित धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट से स्वीकृत करायी जायेगी। इस हेतु वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0(यू0सी0एफ0) एवं अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूँ क्रय के लिये अपने स्रोतों से धन की व्यवस्था की जायेगी। क्रय किये गये गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाएगें।

(3) यदि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0(यू0सी0एफ0) तथा अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा खाद्य विभाग हेतु स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट से धनराशि की माँग की जाती है तो, इसके लिए उनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। ब्याज की शर्तें वही होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(4) राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों (खाद्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 अथवा अन्य) द्वारा किसानों से क्रय किए गये गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी ताकि Flow of Funds लगातार बना रहें।

(5) कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा ताकि किसी प्रकार के विलम्ब से कृषकों में असंतोष उत्पन्न न होने पावे। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तद्नुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, सम्बन्धित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान उसी किसान के नाम **आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक** के माध्यम से किया जायेगा, जिसके नाम किसान बही है अथवा जिस नाम से कृषक पंजीकृत है।

(6) रबी–विपणन सत्र 2018–19 में गेहूँ क्रय हेतु संचालित क्रय केन्द्रों को किसी एक शैड्यूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध करके सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों/सहायक वित्त अधिकारियों द्वारा "Wheat Purchase Account*' के नाम से चालू खाता खोला जायेगा। खाद्य विभाग के क्रय–विक्रय प्रभारियों द्वारा एक समय में किसी एक कृषक को अधिकतम केवल अंकन रूपये 2,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) तक के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। ₹ 2,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) से अधिक गेहूँ के मूल्य का भुगतान वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक के माध्यम से प्रचलित प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) खाद्य आयुक्त स्तर पर, स्टेट पूल में क्रय किये जाने वाले गेहूँ के लिए धन की व्यवस्था सी0सी0एल0 तथा सब्सिडी के माध्यम से करने, फ्लो ऑफ फण्ड्स बनाये रखने, सी0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि बैंक को वापस करने तथा क्रय केन्द्रों को निर्गत धनराशियों का समायोजन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक (खाद्य) का होगा।

## 9. क्रय केन्द्रों पर सुविधायें

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तद्नुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख–सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायेंगीः–

(क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट।

(ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलास, मिट्टी के मटके एवं वाटरमैन आदि।

(ग) ट्रक, ट्राली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था।

(घ) कृषकों को बैठने के लिये तख्त, दरी एवं साया के लिए शैड/शामियाना आदि।

(च) गेहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने एवं पंखे।

(छ) असमय वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।

(ज) गेहूँ से भरे बोरों की सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन की व्यवस्था।

(2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उससे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो, मण्डी समिति की ओर से यह व्यवस्था क्रय एजेन्सी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगा :–

| क्र0 सं0 | क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा | अनुमन्य व्यय सीमायें |
|---|---|---|
| 1 | सीजन में 250 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र | रूपये 7,500 प्रति केन्द्र |
| 2 | सीजन में 251 से 600 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र | रूपये 15,000 प्रति केन्द्र |
| 3 | सीजन में 600 मी0टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र | रूपये 22,500 प्रति केन्द्र |

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

10. <u>हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान</u>

(1) क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों द्वारा लाये गये गेहूँ की बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं ट्रकों में लोडिंग आदि कार्यों के लिए हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य सम्बन्धित क्रय एजेंसी द्वारा किया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य नियमानुसार शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ताकि गेहूँ खरीद में कठिनाई न हो।

(2) जहाँ तक हैण्डलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक दरों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में रबी–विपणन सत्र 2017–18 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैन्डलिंग दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा रबी–विपणन सत्र 2017–18 हेतु निर्धारित हैन्डलिंग दरों का मदवार विवरण निम्नवत् है :–

| क्र0 सं0 | मद | प्रति कुन्टल अधिकतम दर (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | खाद्यान्नों के बोरों में मार्क लगाकर भराई, तुलाई, बाट तथा माप, सुतली का प्रबन्ध, 12 टाँकों की सिलाई | 4.50 |
| 2 | भरे बोरों के स्थानीय चट्टे लगाना | 1.40 |
| 3 | स्थानीय चट्टे से उठाकर ट्रक पर लदायी | 1.40 |
| 4 | भरे बोरों को स्थानीय चट्टे से हटाकर गोदाम/अहाते में 16 छल्ली तक पक्के चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरों को उतरवाकर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी | 1.64 |
| योग | | 8.94 |

भारत सरकार से रबी विपणन सत्र 2018–19 हेतु हैण्डलिंग दरें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं जो कि प्राप्त होने पर तद्नुसार पृथक से सूचित कर दी जायेगी।

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रायः हैण्डलिंग ठेकेदार कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ करते है जिससे किसानों का शोषण होता है। ठेकेदारों की

इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से हैण्डलिंग ठेकेदारों को 50 कि0ग्रा0 भर्ती के बोरों की उपरोक्तानुसार हैण्डलिंग के लिये रूपया 8.94 प्रति कुन्टल से कम दर पर ठेका बिल्कुल न दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों, जिनका कार्य खराब पाया जाये और जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई हो तो, गुण–दोष के आधार पर भविष्य में उन्हें हैण्डलिंग ठेकेदार कदापि नियुक्त न किया जाये।

**11. <u>क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति</u>**

(1) रबी खरीद वर्ष 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के लिए परिवहन ठेकेदारों को भुगतान के लिए दरों के निर्धारण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा। दरों का निर्धारण करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ट्रान्सपोर्ट यूनियनों से प्रचलित दरें ज्ञात कर डीजल की दरों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर खाद्यान्न एवं बोरों के परिवहन हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(2) परिवहन ठेकेदारों को निविदा के आधार पर नियुक्त करने में वही मापदण्ड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो रबी खरीद वर्ष 2017–18 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में अपनायी जाती रही है। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख वाले व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार नियुक्त नहीं किया जाये। यदि अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार नियुक्त करना ही पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये, जिनके विरूद्ध कोई शिकायतें न हों। ठेकेदारों की नियुक्ति में पुराने, अनुभवी तथा ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, जिनके पास अपने स्वयं के ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित क्रय एजेंसी का होगा कि ठेकेदार गेहूँ खरीद में बिचौलियों का कार्य न करने पाये।

(3) नियुक्त परिवहन ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के पंजीकरण नम्बर सभी सम्बन्धित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जायेगें कि जब भी वह ट्रकों को क्रय गेहूँ के परिवहन हेतु भेजें तो ट्रक ड्राईवर के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर सत्यापित करके भेजें। ताकि क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजा गया है।

(4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आंकलन कर अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता, नियुक्त

ठेकेदार के पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार से अनुबंध पत्र भराने के बाद ही कार्य कराना प्रारम्भ किया जाये।

(5) परिवहन ठेकेदार से रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की नकद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (जिस वर्ष अधिकतम खरीद हुई थी के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि के बराबर फैडिलिटी बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबंध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सम्पन्न करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 50,000/– तक रख सकते हैं, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही से शासन को कोई वित्तीय हानि न होने पाये। यदि परिवहन ठेकेदार से गेहूँ के संचरण में कोई क्षति होती है तो उससे इस क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर प्रतिपूर्ति उसके द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयकों से सुनिश्चित की जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण सम्बन्धित क्रय एजेंसी द्वारा विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक, खाद्य को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबन्ध भराने आदि की कार्यवाही निर्धारित समय–सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

## 12. क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाँट का सत्यापन

क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बाट तथा माप का सत्यापन समय–समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। सम्बन्धित विधिक माप निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ क्रय योजना 2018–19 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर दिया जाए साथ ही समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगी कि क्रय केन्द्रों पर सही बाट तथा काँटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईंट, पत्थर अथवा इस प्रकार के मानक बाटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बाट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में घटतौली तथा बढ़तौली की शिकायत न होने पाये।

## 13. क्रय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया

यदि किसी क्रय एजेंसी को क्रय हेतु भूमि किराये पर लेनी पड़ती है तो किराया भुगतान उसके द्वारा अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा, इसके लिए शासन से कोई अतिरिक्त

धनराशि अनुमन्य नही की जायेगी। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

**14. <u>गेहूँ क्रय की अवधि एवं क्रय केन्द्र का समय</u>**

अप्रैल, 2018 से मण्डी में गेहूँ की आवक होने के साथ ही मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह क्रय अवधि दिनाँक 30 जून, 2018 तक रहेगी। मितव्ययता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई क्रय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो, जिलाधिकारी ऐसे क्रय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय अपने विवेक से ले सकते हैं। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 09:00 बजे से सांयः 06:00 बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर क्रय समय की वृद्धि की जा सकती है।

कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोडकर, शेष कार्य दिवसों में गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोडकर अन्य अवकाश के दिनों में भी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केन्द्र खुलवा सकेंगे।

**15. <u>स्टेटपूल में भण्डारण, गुणवत्ता एवम् स्टॉक की सुरक्षा व्यवस्था</u>**

1. विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत स्टेटपूल में 2.21 लाख मी0टन गेहूँ भण्डारित किया जाना है। राज्य में खरीफ सत्र 2017–18 हेतु एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0/विभागीय गोदामों पर भण्डारण क्षमता आयुक्त, खाद्य द्वारा आरक्षित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा गेहूँ खरीद हेतु यदि अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता महसूस की जाती है तो उनके द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा। गेहूँ संग्रहण हेतु भण्डारण क्षमता की कमी के दृष्टिगत एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0 से खुले में भी गेहूँ का संग्रहण कराया जा सकता है। यदि किन्ही कारणों से स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित गेहूँ क्रय के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation हेतु राज्य के गेहूँ के आवंटन की अवशेष आवश्यकता की पूर्ति केन्द्रीय पूल अर्थात भारतीय खाद्य निगम से की जायेगी।

2. केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ का सम्प्रदान तब प्रारम्भ किया जायेगा जब स्टेटपूल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी। स्टेटपूल योजना में क्रय गेहूँ की मात्रा का भण्डारण खाद्य विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम (एस0डब्ल्यू0सी0) एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी0डब्ल्यू0सी0) के गोदामों में आरक्षित कराई गई क्षमता में तथा अपने वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में किया जायेगा। गेहूँ के भण्डारण में गेहूँ की गुणवत्ता एवं स्टाक की सुरक्षा हेतु संग्रहण एजेन्सी क्रमशः एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगीं।

3. प्रदेश में गेहूँ खरीद की दृष्टि से अधिकांश जनपद डेफिसिट है अतः डेफिसिट जनपदों में गेहूँ की आवश्यकता की पूर्ति सरप्लस जनपदों से गेहूँ भेजकर की जायेगी, जिसका संचरण प्लान दोनों सम्भागों के सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा आवश्यकतानुसार आपसी विचार विमर्श कर तैयार किया जायेगा, जिससे सरप्लस जनपदों में भण्डारण गोदामों में पर्याप्त स्थान बना रहे तथा डेफिसिट जनपदों के खाली गोदामों में भण्डारण किया जा सके तथा उसका उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tideover Allocation हेतु हो सके। मूवमेन्ट प्लान में रेल, सड़क मार्ग से गेहूँ का प्रेषण इस प्रकार किया जायेगा कि खाद्यान्न पहुंचने में कम समय लगे तथा क्रय किया गया गेहूँ उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध हो सके, साथ ही परिवहन व्यय में भी मितव्ययता सुनिश्चित हो सके।

4. प्रदेश में स्थित एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 के प्रत्येक गोदाम में जहाँ गेहूँ का भण्डारण स्टेटपूल में किया जायेगा, वहाँ खाद्य विभाग की विपणन शाखा का स्टाफ तैनात रहेगा जो गेहूँ की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच संग्रहण एजेन्सी के साथ संयुक्त रूप से करने के उपरान्त गेहूँ का स्टॉक प्राप्त करेगा। विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर एस0डब्ल्यू0सी0 के गोदामों में भण्डारण हेतु स्थान रिक्त नहीं बचेगा तथा अन्य स्थलों पर मूवमेंट संभव नहीं हो सकेगा, ऐसी परिस्थिति में गेहूँ खरीद प्रभावित न होने पाये इसको दृष्टिगत रखते हुये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गेहूँ भण्डारण हेतु खाद्य विभाग के गोदामों का प्रयोग कर सकेंगे एवं इसकी सूचना तत्काल खाद्यायुक्त को देंगे। इस प्रकार भण्डारित गेहूँ के संबंध में उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा आदि का दायित्व संबन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक का होगा।

## 16. <u>स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था</u>

1. गढ़वाल सम्भाग में गेहूँ की खरीद कुमायूँ सम्भाग के सापेक्ष नगण्य होने एवं गढ़वाल सम्भाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं Tide Over Allocation हेतु गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 एवं अन्य क्रय ऐजेन्सियों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम सम्भाग स्तर पर सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों के स्तर से जारी किया जायेगा, जिसमें कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग के गेहूँ क्रय केन्द्रों से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु संचरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ सम्भाग के साथ–साथ गढ़वाल सम्भाग में भी आवंटन के अनुरूप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर हेतु गेहूँ की आपूर्ति चावल की भाँति ऋषिकेश केन्द्र से की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने–अपने सम्भाग में भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ–साथ अन्तर–सम्भाग (inter-regional) गेहूँ का ऐसा संचरण/भण्डारण करायेंगे कि समयान्तर्गत आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

2. रबी–विपणन सत्र 2018–19 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सहायक निबन्धक, नैनीताल, उधमसिंह नगर एवम् चम्पावत को अपने–अपने जनपदों में गेहूँ खरीद हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सहायक निबन्धक सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपदों में सहकारिता विभाग व यू0सी0एफ0 के समस्त क्रय केन्द्र अप्रैल माह से गेहूँ खरीद हेतु पूर्ण रूप से संचालित हो जाय तथा उनमें स्टाफ की नियुक्ति, परिवहन एवम् हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, बोरों की व्यवस्था, काँटे–बाट की व्यवस्था आदि समय से पूर्ण हो जाय। इस हेतु सहायक निबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

17. **<u>क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखाव</u>**

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे :–

1. आवक–क्रम एवं टोकन पंजिका।
2. क्रय तक पट्टी
3. काश्तकार पर्ची।
4. बोरा पंजिका।
5. क्रय पंजिका
6. स्टॉक पंजिका।
7. रिजेक्शन पंजिका।
8. निरीक्षण पंजिका।
9. बैंक लेखा पंजी/चैक बुक/निर्गत चैकों की विवरण पंजिका।
10. मूवमेन्ट चालान बुक।
11. शासनादेश की पत्रावली।
12. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली।
13. शिकायत पुस्तिका।

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका क्रय केन्द्र मांगे जाने पर प्रभारियों द्वारा अवलोकित करायी जायेगी।

18. **<u>खरीद प्रक्रिया</u>**

(1) राज्य के लोक सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा रबी–खरीद सत्र 2018–19 के अर्न्तगत क्रय योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। सम्बन्धित मण्डी समितियाँ भी इस आशय का प्रचार करेगीं कि किसान अपना गेहूँ साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लायें, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषकों द्वारा साफ–सुथरा गेहूँ विक्रय हेतु नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व क्रय केन्द्र पर दो जाली वाले छन्ने से भली–भाँति अनिवार्यतः साफ कराकर ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जायेगी। यदि किसी कृषक द्वारा स्वयं साफ न करके गेहूँ की सफाई का कार्य क्रय केन्द्र पर नियुक्त हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो काश्तकार से इस कार्य हेतु मण्डी समिति की निर्धारित दरों पर सफाई का मूल्य कृषक को देय

भुगतान से समायोजित कर लिया जायेगा। किसी भी दशा में क्रय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(2) क्रय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों का ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टियों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर क्रय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों हेतु प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना क्रय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बडे अक्षरों में "**प्रतिनिधि नमूना**" लिखा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी क्रयकर्ता एजेंसी की होगी। स्टेट पूल डिपो पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती हैं तो उसके लिए सम्बन्धित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा क्रय एजेन्सी उत्तरदायी होंगे।

(3) सामान्यतः एक दिन में एक काँटे में 1,000 बोरों अर्थात 500 कुन्टल से अधिक की तुलाई नहीं हो सकेगी। क्रय एजेंसी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) के आधार पर काँटों की संख्या का निर्धारण कर लेंगे। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि इनको संचालित करने के लिए स्टाफ पर्याप्त हो।

(4) जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जाँच की जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ क्रय कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़े।

(5) **गेहूँ की बोरों में भराई, सिलाई तथा स्टैंसिलिंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रहेगी :–**

**(क)** बोरों में 50 कि0ग्रा0 गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।

**(ख)** बोरों की सिलाई मशीन अथवा 12 टाँकों से मजबूत सुतली से की जायेगी।

**(ग)** प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, क्रय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/क्रय एजेन्सी/क्रय केन्द्र का कोड़ नम्बर अंकित होगा।

| (अ) | **क्रय एजेन्सी का नाम** | **कोड नम्बर** |
|---|---|---|
| 1. | खाद्य विभाग (विपणन शाखा) | 01 |
| 2. | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 | 02 |
| 3. | अन्य नामित एजेन्सी, | 03 |
| 4. | अन्य नामित एजेन्सी | 04 |
| 5. | अन्य नामित एजेन्सी | 05 |
| 6. | अन्य नामित एजेन्सी | 06 |

| (ब) | **जनपद का नाम** | **कोड नम्बर** |
|---|---|---|
| 1. | देहरादून | 001 |
| 2. | पौड़ी गढ़वाल | 002 |
| 3. | हरिद्वार | 003 |
| 4. | नैनीताल | 004 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | ऊधमसिंह नगर | 005 |
| 6. | चम्पावत | 006 |

क्रय केन्द्रों के कोड क्रय एजेंसियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य आयुक्त एवं शासन को सूचित किये जायेंगे।

रबी–विपणन सत्र 2018–19 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012– Py \.III (E.File.318639) दिनाँक 25.10.2017 के अनुसार गेहूँ के बोरों की कलर कोडिंग निम्नवत् की जायेगी :–

1- Stencil or Branding as pre indenters requirements shall be in "BLUE" colour.

2- Marking or stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "BLUE" colour.

3- For identification marking of marketing season, there will be Color Coded strip's on every jute bag. Width of each strup will be of 4 threads. Each strip will be running along the length of the Bag and shall be in "BLUE" colour.

रबी–विपणन सत्र 2018–19 हेतु उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैंसिलिंग व छपाई न करने पर क्रय एजेंसियाँ ठेकेदार से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियाँ करेंगी :–

| क्र0सं0 | विवरण | कटौती की दर |
|---|---|---|
| 1 | खराब सिलाई **12 टाँकों** से कम | रूपये 1.00 प्रति बोरा |
| 2 | स्टैंसिलिंग न करना/खराब करना | रूपये 1.00 प्रति बोरा |

(6) यदि क्रय केन्द्र पर किसी कारण किसान का गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो, रिजेक्शन रजिस्टर में कृषक का नाम, उसका पूरा पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा। इस कारण की सूचना कृषक को भी दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर माँग किये जाने पर सम्बन्धित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(7) क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष गेहूँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसियों का होगा। सुरक्षा के लिए सभी वाँछित उपाय क्रय एजेंसी सुनिश्चित करेगीं। इस पर होने वाला व्यय अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से ही वहन किया जायेगा तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

## 19. <u>भारतीय खाद्य निगम को क्रय किये गये गेहूँ का सम्प्रदान</u>

(1) गेहूँ का क्रय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत 2.21 लाख मी0टन का सम्प्रदान/संग्रहण स्टेटपूल में तथा निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्रय किया जाने वाला गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(2) क्रय केन्द्र से स्टेट पूल डिपोज/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक गेहूँ की ढुलाई सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों द्वारा कराई जायेगी।

(3) जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय केन्द्रों को डिपो डिलीवरी स्थान से सम्बद्ध करने के लिए मूवमेन्ट प्लान उपलब्ध कराया जायेगा। खरीदा गया गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से जमा न हों, इसके लिये आवश्यक है कि गेहूँ का संचरण खरीद केन्द्रों द्वारा खरीद के दिन से ही प्रारम्भ किया जाये।

(4) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर जो ट्रक सांयकाल 5.00 बजे तक पहुँच जायेगा उनकी उतराई उसी दिन की जायेगी।

(5) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ का लोडेड ट्रक पहुँचने पर ट्रक का विवरण गेट प्रवेश पंजिका में अंकित करके ड्राईवर को टोकन दिया जायेगा, जिसमें ट्रक के डिपो पर पहुँचने की तिथि/समय तथा क्रम संख्या का उल्लेख होगा। भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर क्रम संख्या के अनुसार ही ट्रकों की अनलोडिंग की जायेगी।

(6) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ की डिलीवरी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर वे–ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है ताकि शत प्रतिशत तौल सुनिश्चित हो सके, परन्तु जहाँ यह सुविधा न हो वहाँ गेहूँ के बोरों की 10 प्रतिशत तौल के आधार पर डिलीवरी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज द्वारा स्टाक के स्वीकृति के 24 घन्टे के अन्दर सम्बन्धित क्रय एजेंसी को गेहूँ का एक्नालेजमेंट दिया जायेगा तथा क्रय एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 72 घन्टे के अन्दर भुगतान कर लिया जायेगा। क्रय एजेन्सियों का यह दायित्व होगा कि वह भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिदिन एक्नालेजमेन्ट प्राप्त करेंगे।

20. <u>सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद का निराकरण</u>

सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता सम्बन्धी विवादों के निराकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(1) केन्द्रीय पूल में गेहूँ के सम्प्रदान किये जाने पर विवाद होने की दशा में भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेंसी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने प्रतिनिधि संयुक्त रूप से नामित किये जायेंगे।

स्टेट पूल में गेहूँ की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक

द्वारा गठित की जायेगी। इस समिति के लिए क्रय ऐजेंसी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(अ) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक।

(ब) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक।

(स) सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी।

21. <u>संग्रह एजेंसी द्वारा अस्वीकृत गेहूँ का निस्तारण</u>

क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदा गया गेहूँ यदि भारतीय खाद्य निगम अथवा स्टेटपूल गोदामों पर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे क्रय संस्थाओं द्वारा बाजार में बेचकर निस्तारित किया जायेगा जिसके लिये अलग से शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस मद में होने वाले किसी व्ययभार की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में नहीं की जायेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार की विपणन शाखा को भी अस्वीकृत गेहूँ अपने स्तर से निस्तारित करना होगा। ऐसा करने में यदि शासन को आर्थिक हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके की जायेगी।

22. <u>कठिनाईयों का निराकरण</u>

गेहूँ खरीद से सम्बन्धित जारी किये गये इस शासनादेश के क्रियान्वयन में यदि किसी समय कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिये आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो नीतिविषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23. <u>पुरस्कार, मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था</u>

गेहूँ खरीद में महत्वपूर्ण योगदान देने पर क्रय केन्द्रों पर तैनात स्टाफ को पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गेहूँ क्रय में किसी अधिकारी/कर्मचारी की किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित किये जाने पर भी विचार किया जायेगा।

24. <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना</u>

1. राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा जो प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00

बजे तक कार्यशील रहेगा। इसी प्रकार सम्भाग स्तर पर तथा जनपद स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित गेहूँ खरीद से सम्बन्धित सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को दूरभाष/फैक्स संख्या–2740778 तथा ई–मेल foodcommfcs@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

2. क्रय एजेंन्सियों द्वारा दैनिक गेहूँ एवं खरीद के आंकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल ऑफिसर द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Precurement Monitoring System) के अन्तर्गत क्रय संस्थाओं द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक गेहूँ खरीद के आंकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियंत्रण कक्ष, खाद्यायुक्त कार्यालय एवं भारतीय खाद्य निगम को OPMS (Online Precurement Monitoring System) में प्रविष्टि हेतु नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

## 25. गेहूँ क्रय का अनुश्रवण

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा भी क्रय एजेंसियों के साथ प्रत्येक सप्ताह अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर गेहूँ खरीद की समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए खाद्यायुक्त को अवगत कराया जायेगा।

(2) सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उपसंम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा बोरों की व्यवस्था, क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर की गयी गेहूँ खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम/स्टेटपूल डिपो को इसके सम्प्रदान आदि की नियमित समीक्षा की जायेगी। केन्द्रीय पूल में सम्पद्रान होने की स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा क्रय एजेंसियों के अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक करेंगे और गेहूँ खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन/खाद्यायुक्त को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 द्वारा संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 तथा सम्बन्धित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (गेहूँ खरीद योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेंगे।

## 26. क्रय केन्द्रों का निरीक्षण

(1) रबी–विपणन सत्र 2018–19 में स्थापित क्रय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी,

अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रक्रिया में बिचौलिये तो कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

(2) निरीक्षण कार्य, पी0ओ0एल0 एवं गाड़ी अनुरक्षण आदि पर व्यय सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार रबी क्रय विपणन सत्र 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(अनिन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव।

**संख्या– 274 (1)/18–XIX-2/57 खाद्य/2017, तद्दिनाँक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वांल।
4– अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून एवं हल्द्वानी।
9– निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
13– सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15– सम्बन्धित क्रय एजेन्सी, द्वारा खाद्यायुक्त
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल)
उप सचिव।